

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक-02.5.17

संख्या-12/प0-1008/10-सा0प्र0-5251 / बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी, 1169/11, मुजफ्फरपुर	प्रशासी पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना ।	विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।
2	श्री अनिल कुमार, 610/11, मुजफ्फरपुर	वरीय उप समाहर्ता, गया	वरीय उप समाहर्ता, दरभंगा

2. श्री अनिल कुमार को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अर्न्तत संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियों प्रदत्त की जाती है । साथ ही उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु भी शक्तियों प्रदत्त की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(भीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0-1008/10-सा0प्र0-...5251 /पटना, दिनांक-02.5.17

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/अपर निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर डालने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के संयुक्त सचिव